प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं ......63/22......दिनांक......25/2/22......
2. (1) अधिनियम ....धाराऐं...**7,7ए भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018......**
   (2) अन्य अधिनियम एवं ....धाराऐं ....120बी. भा.द.सं. ....
3. (क) घटना का दिन :– 24.02.2022
   (ख) थाने/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 23.02.2022 समय :– **09.23 ए.एम.**
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....552.. समय....6:30 P.M.............
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) **लिखित**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) चौकी से दिशा एवं दूरी – **उत्तर–पश्चिम एवं 65 किलोमीटर**
   बीट संख्या.........................जुरामदेही सं.......................
   (ख) पताः– **धान्धोला तिराहा, देवली–जहाजपुर रोड जिला भीलवाडा, राजस्थान।**
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– **श्री नेमराज मीणा**
   (ख) पिता का नाम :– **श्री** रामलाल मीणा
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– **28 साल**
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या.....................जारी करने की तिथि..........................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय –
   (छ) पता :– **निवासी भटखेडी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   (1) भैरू सिंह पुत्र लीला राम उम्र 28 साल जाति गुर्जर निवासी नांगल चेचिका तहसील कोटपूतली थाना पनियाला जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का गांगीथला अति. चार्ज पटवार हल्का उंचा वृत्त गांगीथला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
   (2) महेन्द्र कुमार पुत्र फुलचन्द उम्र 32 साल जाति मीणा निवासी रतनपुर थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा (प्राइवेट दलाल)
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – **25,000 रूपये** ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

दिनांक 23.02.2022 समय 09.23 ए.एम. पर श्री जितेन्द्र कुमार मीणा ने मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 97845–57609 पर उसके मोबाईल नम्बर 90571–15427 से कॉल करके बताया कि– ''दिनांक 19.02.2022 की रात्रि को मेरा व मेरे दोस्त नेमराज मीणा के बजरी से भरे हुये दो ट्रेक्टर ट्रोली को जहाजपुर के एसडीएम साहब दामोदर गुर्जर ने गांगीथला तेजाजी के पास रूकवा लिये तथा मौके पर दलाल महेन्द्र कुमार मीणा व पटवारी भैरू सिंह से वार्ता के बाद छोड दिये, जिसकी एवज में अब दलाल महेन्द्र कुमार मीणा व पटवारी भैरू सिंह रिश्वत की मांग कर रहे है। रिश्वत नही देने पर भविष्य में ट्रेक्टर ट्रोली नही चलने देने की धमकी दे रहे है। हम रिश्वत नही देकर रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। अतः जहाजपुर आकर कार्यवाही करें।'' उक्त मौखिक सूचना के सत्यापन के कम में समय 10.00 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय राम सिंह कानि. 78 व चालक प्रेम प्रकाश कानि. 350 के डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर प्राइवेट वाहन से जहाजपुर रवाना हुआ।

मन् उप अधीक्षक मय हमराह जाब्ते के रवाना होकर जहाजपुर कस्बा पहुॅचा। जहां मुताबिक सूचना के परिवादीगण कस्बा जहाजपुर मे बताये स्थान पर उपस्थित मिलें। परिवादी नेमराज मीणा व जितेन्द्र कुमार मीणा ने एक सादा कागज पर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि – मैं व मेरा दोस्त जितेन्द्र कुमार मीणा दोनों ट्रेक्टर ट्रोली रखते है है तथा खेती–काश्त, रेत/बजरी, पत्थर परिवहन का कार्य करते है। दिनांक 19.02.2022 की रात्रि को साढे ग्यारह बजे करीब मेरे व मेरे दोस्त जितेन्द्र मीणा के बजरी से भरी ट्रेक्टर ट्रोलियों को एसडीएम साहब दामोदर जी ने प्राइवेट गाडी से गांगीथला तेजाजी के पास आकर हमारे दोनों ट्रेक्टर ट्रोली को रूकवा लिया तथा जब्त

करने की धमकी दी। उसके कुछ समय बाद महेन्द्र कुमार मीणा दलाल वहां आया तथा हमसे कहा कि मुझे पटवारी भैरू सिंह जी ने भेजा है, पटवारी जी की एसडीएम साहब से बात हो गई है, पटवारी जी ने ट्रेक्टर ट्रोली को छोडने की एवज में प्रति ट्रेक्टर ट्रोली 50–50 हजार रूपये कुल 1,00,000 रूपये की मांग की है। हमारे द्वारा रूपये देने के आश्वासन पर एसडीएम ने मौके पर ही हमारे दोनों ट्रेक्टर ट्रोली को छोड दिया। जिसमें से एक ट्रेक्टर ट्रोली को स्वयं दलाल महेन्द्र कुमार मीणा गांव छोड कर आया था। उसके बाद पटवारी भैरू सिंह व दलाल महेन्द्र कुमार मीणा दोनों मेरे व मेरे दोस्त जितेन्द्र कुमार मीणा से 100,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है एवं रिश्वत नही देने पर भविष्य में हमारे ट्रेक्टर ट्रोली नही चलने देने की धमकी दे रहे है। मैं व मेरा दोस्त जितेन्द्र कुमार मीणा इन लोगो को 100,000 रूपये रिश्वत के नही देना चाहते है बल्कि इनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहते है। मेरी व मेरे दोस्त जितेन्द्र कुमार मीणा की एसडीएम साहब दामोदर जी, पटवारी भैरू सिंह व महेन्द्र कुमार मीणा से कोई आपसी रंजिश नही है तथा कोई उधार का लेन–देन भी बकाया नही है। कार्यवाही करने की कृपा करे।'' परिवादी नेमराज मीणा ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा होना बताया।

परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत लेन देन का होना पाया गया। इस पर इस मन् उप अधीक्षक ने परिवादी नेमराज मीणा को सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु व बंद करने की विधि समझाकर, सुपुर्द कर समझाइश की गई कि आरोपी पटवारी व दलाल से रिश्वत मांग के सम्बंध में बातचीत कर आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे व बाद वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर लाकर मन् उप अधीक्षक को पेश करें। श्री राम सिंह कानि. 78 को परिवादी नेमराज मीणा व जितेन्द्र कुमार मीणा पर निगरानी बनाये रखने की समझाइश कर परिवादीगण के साथ आरोपी पटवारी भैरू सिंह के किराये के मकान पर रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक मय चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के जहाजपुर में चौराहे पर प्राइवेट कार में बैठे रहकर परिवादीगण के वापस आने का इंतजार किया।

करीबन 40 मिनिट बाद परिवादी नेमराज मीणा व जितेन्द्र कुमार मीणा तथा राम सिंह कानि. 78 वापस आये तथा परिवादी नेमराज मीणा ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि – ''मैं व जितेन्द्र कुमार मीणा दोनों पटवारी के किराये के मकान पर डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालु करके गये तथा बातचीत की तो पटवारी भैरू सिंह व महेन्द्र कुमार मीणा दलाल ने हमारे से हमारे छोडे गये दोनों ट्रेक्टर ट्रोली की एवज में बाकि के 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की है तथा रूपये शाम को देने को कहा है। मेरे पास रूपयों की व्यवस्था नही होने के कारण मैं शाम तक या कल सुबह रूपये देने की बात कहकर आया हूँ। बातचीत के बाद मैंने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया था।'' श्री राम सिंह कानि. 78 से पूछने पर परिवादी के बताये कथनों की पुष्टि की। डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को जरिये ईयरफोन सुना गया तो आरोपीगण द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। मन् उप अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित अपने पास रखा।

परिवादी नेमराज मीणा को मांग के अनुसार रूपयों की व्यवस्था करके सहपरिवादी जितेन्द्र कुमार मीणा के साथ दिनांक 24.02.2022 को प्रातः 10 बजे जहाजपुर से पहले पीपलून तिराहा पर उपस्थित मिलने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। मन् उप अधीक्षक मय राम सिंह कानि. 78 व चालक प्रेम प्रकाश कानि. 350 के प्राइवेट वाहन से रवाना होकर बूंदी आया। कार्यालय जिला रसद अधिकारी बूंदी के नाम एक तहरीर जारी कर दिनांक 24.02.2022 समय 7.30 ए.एम. पर दो स्वतंत्र गवाह चौकी पर उपस्थित होने हेतु श्री राम सिंह कानि. 78 को भेजकर गवाहों को पाबन्द करवाया गया।

दिनांक 24.02.2022 को कार्यालय जिला रसद अधिकारी से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान 1. श्री रईस अली पुत्र स्व. शफीक अली उम्र 42 साल जाति मुसलमान निवासी चारभुजा मन्दिर के पास, तिलक चौक, बूंदी शहर हाल कनिष्ठ सहायक, 2. श्री विकास जोशी पुत्र हेमराज शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 28 साल निवासी भण्डेड़ा तहसील नैंनवा जिला बूंदी हाल कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स, डिजिटल वॉईस रिकार्डर व लेपटॉप प्रिन्टर व अन्य उपकरण प्राइवेट वाहन में रखवाये गये। चालक श्री प्रेमप्रकाश कानि. 350 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर प्राइवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। तत्पश्चात राजकमल कानि. 330, जितेन्द्र सिंह कानि. 413, मनोज कानि. 452 व स्वतंत्र गवाहान रईस अली, विकास जोशी को एक प्राइवेट वाहन कार से आगे आगे रवाना कर मन् उप अधीक्षक मय ताराचन्द पुलिस निरीक्षक, शिवनारायण सोनी हैड कानि. 30, राम सिंह कानि. 78 व चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 दूसरे प्राइवेट वाहन क्रेटा से जहाजपुर रवाना हुये।

मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान के प्राइवेट वाहनों वाहन से जहाजपुर से पूर्व निर्धारित स्थान पीपलून तिराहा पर पहुँचा, जहॉ पूर्व में हुई मोबाईल फोन वार्ता के अनुसार परिवादी नेमराज मीणा व सहपरिवादी जितेन्द्र कुमार मीणा उपस्थित मिले। परिवादीगण ने अवगत करवाया कि – आरोपी पटवारी भैरू सिंह दलाल महेन्द्र कुमार मीणा के मोबाईल से बार बार रिश्वत लेकर बुला रहा है।'' जिस पर दोनों परिवादीगण का परिचय स्वतंत्र गवाहों से करवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहों को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहों ने अपनी मौखिक सहमति प्रकट की, जिस पर दोनों गवाहों को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाकर हस्ताक्षर करवाये